न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3, गौतमबुद्धनगर।

CNR No. UPGB01009246- 2022

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 3463 सन् 2022

आनन्द पुत्र श्री अरविन्द सिंह प्रति उ0प्र0 सरकार।

आदेश / 24.06.2022

यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक / अभियुक्त आनन्द द्वारा मु0अ0सं0 50 सन् 2022 अंतर्गत धारा–379, 411 भा0दं0सं0 थाना–सैक्टर–126, जिला गौतमबुद्धनगर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया।

मैंने आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा मोहित चौहान द्वारा दिनांक–04.05.2022, को समय–15:52 बजे थाना–सैक्टर–126, गौतमबुद्धनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि दिनांक–01.05.2022 को स्थान–ग्राम–असगरपुर घर के सामने गली, सैक्टर–127, अन्तर्गत थाना–सैक्टर–126, गौतमबुद्धनगर से उसकी गाड़ी डी.एल.7सी.जे.6696 एवं पड़ौसी की गाड़ी संख्या–यू.पी.86टी.7068 में से अज्ञात चोर सी.एन.जी. सिलेण्डर चोरी कर ले गये। दौराने विवेचना दिनांक–05.05.2022 को अभियुक्त को सहअभियुक्तगण के साथ पकड़ा गया तो उनके कब्जे से 15सी.एन.जी. सिलेण्डर, चार घरेलू सिलेण्डर, तीन लोहे के जाल, चार बैट्री, एक टार्च, एक पेचकस बिना नम्बर की इर्टिगा कार बरामद हुए।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक / अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन की देरी से दर्ज कराई गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। उक्त मुकदमें के घटना स्थल पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुए हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा सी.सी.टी.वी. फुटेज को पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है। आवेदक / अभियुक्त दिनांक–05.05.2022 से कारागार में निरूद्ध है। अतः उसे जमानत प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर जमानत प्रदान कर दी जाये।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

आवेदक / अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक–05.05.2022 से कारागार में निरूद्ध है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जनसाक्षी होना कथित नहीं है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त के सम्बन्ध में पूर्व दोषसिद्धि के बाबत कोई कथन नहीं किया गया है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

तद्नुसार प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा **तीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो जामिनान संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– प्रार्थी/अभियुक्त व जामिनदारान, बंधपत्रों व प्रतिभू में अपने मोबाइल नंबर तथा स्थाई व वर्तमान पते अंकित करेगा। यदि दिये गये पतों व मोबाईल नंबर में कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना न्यायालय को देगा तथा यदि अभियुक्त कार्य के लिए स्थान परिवर्तन करता है तो परिवर्तित स्थान की भी सूचना देगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त व प्रतिभू अपने आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त अन्तर्गत धारा 437 उपधारा–3, अध्याय–33 दं0प्र0सं0 में उल्लिखित बंधपत्र की शर्तों का कठोर पालन करेगा–

(क) ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा,

(ख) ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा,

(ग) ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा नहीं करेगा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त फार्म–45 अंतर्गत धारा 437ए दं0प्र0सं0 में दिये गये बिन्दुओं के अनुसार बंधपत्र दाखिल करेगा–

''अभियुक्त विचारण के पूर्ण होने के छः माह के अंदर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।''

5– प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना एवं विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

6– प्रार्थी/अभियुक्त इस आशय का एक बंधपत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई गवाह हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित करे।

(पुष्पेन्द्र सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–3, गौतमबुद्धनगर।
J.O. Code : UP06241